हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अशोक कुमार सिंह
संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

जोधपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

उदयपुर
दूल्हा सिंह चूण्डावत
मो. 9571875488

क्रमांक ५४५०८ दिनांक : 10.06.2020

श्रीमान मुख्य सचिव
राजस्थान सरकार
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय– कोरोना काल में राजस्थान आयुर्वेद विभाग को सशक्त एवं सक्रिय बनाने के लिए किसी क्षमतावान विवेकशील आई.ए.एस. को आयुर्वेद सचिव बनाने बाबत।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि हम आदर पूर्वक यह जानकारी में लाना चाहते है कि राजस्थान आयुर्वेद विभाग के अधीन कार्यरत हजारों विद्वान अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सकों एवं आयुर्वेद नर्सेज को आयुर्वेद सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ के द्वारा दिनांक 07 अप्रेल 2020 को जारी एक तुगलकी फरमान से आयुर्वेद चिकित्सकीय कार्यों में पूरी तरह निष्क्रीय करते हुये एलोपेथी के चिकित्सकों के अधीन असम्बद्ध एवं अप्रासंगिक कार्यों को करने के लिए मजबूर कर दिया गया है। प्रदेश के हजारों आयुर्वेद चिकित्सालय बंद पड़े हैं, हजारों आयुर्वेद चिकित्सक एवं नर्सेज अपमानित व हतोत्साहित हैं तथा लाखों आयुर्वेद प्रेमी नागरिक अविधिक रूप से आयुर्वेद चिकित्सा, आयुर्वेदिक औषधी एवं आयुर्वेदिक सलाहों से वंचित किय जा चुके हैं।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी अनेक बार देश को सम्बोधित करते हुये कोविड–19 महामारी के परीपेक्ष में आयुर्वेद को महत्वपूर्ण बताया है। केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने भी आयुर्वेदिक औषधियॉ लेने के लिए एडवाइजरी जारी की है जो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी दिनांक 05.06.2020 को आदेश जारी करके कोविड–19 के उपचार में लगे सभी चिकित्सकों को आयुर्वेदिक औषधियों को उपयोग में लेने के लिए पाबन्द किया गया है। (आदेश प्रति संलग्न है)

ऐसी परिस्थितियों में आयुर्वेद विभाग के संरक्षक होने के नाते श्रीमती गायत्री राठौड द्वारा जहां विद्वान और अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सकों एवं नर्सेज का मनोबल बढाकर उनका विवेकपूर्ण उपयोग करके प्रदेश के हजारों कोरोना पीड़ितों के उपचार में लगाकर चिकित्सा प्रशासन के सामर्थ्य को द्विगुणित करना चाहिये था लेकिन उन्होंने पूरे आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रशासन को अविधिक रूप से ठप्प करते हुये नकारा कर दिया जिससे प्रदेश में कोविड–19 से मरने वालों की संख्या बिना उचित उपचार के सैकड़ों तक पहुंच गई है। बिना आयुर्वेद उपचार के प्रदेश में मरने वाले कोविड–19 के मरीजों की मौत की जिम्मेदार जहां श्रीमती गायत्री राठौड हैं वहीं आयुर्वेदिक चिकित्सा से वंचित किये गये लाखों आयुर्वेद प्रेमियों की पीड़ाओं के लिए भी वे ही जिम्मेदार हैं।

समता आन्दोलन द्वारा श्रीमती गायत्री राठौड को दिनांक 14.05.2020 को ज्ञापन (प्रति संलग्न) प्रस्तुत करके उपरोक्त अविधिक आदेश दिनांक 07.04.2020 को तत्काल निरस्त करने का विनम्र आग्रह किया गया था लेकिन श्रीमती गायत्री राठौड़ अपनी जिद्द पर अड़ी हुई है और वाह्य कारणों से प्रेरित होकर प्रदेश के पूरे आयुर्वेद विभाग को जड़–मूल से खत्म करने पर तुली हुई हैं।

अतः आपसे प्रार्थना है कि कोविड–19 के मरीजों की मौतों को कम करने के लिए, प्रदेश के आयुर्वेद विभाग के अस्तित्व को बचाने के लिए, हजारों कर्तव्यनिष्ठ, विद्वान, अनुभवी आयुर्वेदाचार्यों एवं नर्सेज की अस्मिता एवं सेवाओं के संरक्षण के लिए कृपया आयुर्वेद विभाग की सचिव श्रीमती गायत्री राठौड को तत्काल स्थानान्तरित किया जावे। इनकी जगह किसी अनुभवी, विवेकशील, संजिदा प्रशासनिक अधिकारी को आयुर्वेद सचिव बनाया जावे ताकि प्रदेश में आयुर्वेद का चहुमुखी विकास और उत्थान होने के साथ–साथ कोविड–19 महामारी के रोकथाम एवं उपचार में भी समुचित उपयोग किया जा सके। सादर,

भवदीय

पाराशर नारायण
अध्यक्ष

हर इंसान-एक समान | एक राष्ट्र-एक जान | मेरा भारत महान

समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय :जी-3, संगम रेजीडेन्सी, प्लाट नं. 9-10, गंगाराम की ढाणी, वैशाली नगर, जयपुर

Website :www.samtaandolan.co.in Email :samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)
माननीय श्री अशोक कुमार सिंह संरक्षक (पूर्व मेजर जनरल)
माननीय श्री भागीरथ शर्मा संरक्षक (पूर्व आई. ए. एस.)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 098290-78682

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 094133-89665

विमल चौरड़िया
महासचिव , मो. 094140-58289

ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष , मो. 094140-95368

तीय उपाध्यक्ष एवं पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर
ऋषिराज राठौड़
मो. 9694348039

अजमेर
एन. के.झामड़
मो. 9414008416

बीकानेर
वाई. के. योगी
मो. 9414139621

भरतपुर
हेमराज गोयल
मो. 9460926850

धपुर
प्रहलाद सिंह राठौड़
मो. 9414085447

कोटा
डॉ. अनिल शर्मा
मो. 9414662244

क्रमांक 48370 दिनांक : 14.05.2020

'आयुर्वेद अपनाईये, कोरोना भगाईये'

श्रीमति गायत्री राठौड़, शासन सचिव,
आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

विषय : आयुर्वेद चिकित्सकों एवं नर्सेज को एलोपैथी के PMOs के अधीन काम करने वाला आदेश क्र. प. 25/5/आयु./2020पार्ट 07/04/2020 को तत्काल वापस लेने बाबत्।

महोदया,

विनम्र निवेदन है कि अभी कोरोना/कोविद-19 महामारी के लिए यह सर्वविदित तथ्य है कि एलोपैथी में इस महामारी को रोकने या इसका उपचार करने की कोई दवा या वैक्सीन नहीं हैं। इसके विपरीत आयुर्वेद में इस महामारी को रोकने व इसका उपचार करने के अनेक नुस्खे/दवाईयाँ हैं। प्रत्येक विद्वान एवं अनुभवी आयुर्वेदाचार्य इस तथ्य को प्रामाणिकता से कह रहे हैं। इसके अलावा माननीय प्रधानमंत्री भी राष्ट्र के नाम सम्बोधनों में तथा 'मन की बात' कार्यक्रमों में बार-बार अयुर्वेदिक ओषधियों और काढे के सेवन का आग्रह कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा भी एडवाइजरी जारी करके आम जनता से आयुर्वेदिक औषधियों से कोरोना/कोविद-19 की रोकथाम एवं उपचार के अध्ययन एवं क्लिनिकल ट्रायल की कार्यवाहियाँ केन्द्र सरकार के आयुर्वेद संस्थानों द्वारा लगातार की जा रही हैं।

ऐसी परिस्थितियों में आप द्वारा उपरोक्त आदेश प.25(5)आयु./2020पार्ट दिनांक 07.04.2020 जारी करके प्रदेश के करीब 7-8000 दक्ष आयुर्वेद चिकित्सकों एवं दक्ष आयुर्वेद नर्सेज को सम्बन्धित जिले के एलोपैथी अस्पताल के PMOs के अधीन भेज देना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हमारे प्रधानमंत्री जहाँ कोरोना योद्धाओं का बार-बार सम्मान करके उनका मनोबल बढा रहे है, वहीं आप का यह कृत्य राजस्थान प्रदेश के सभी विद्वान आयुर्वेदाचार्यो और निष्ठावान कार्मिकों को हतोत्साहित करने वाला हैं, उनका मनोबल तोडने वाला है, उन्हे नाकारा घोषित करने वाला हैं।

राजस्थान में आयुर्वेदाचार्यो की नियुक्ति तहसील, गाँव, कस्बों तक हैं। आयुर्वेद एक सम्पूर्ण प्रमाणिक चिकित्सा विज्ञान हैं। यदि बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से प्रदेश के दक्ष, विद्वान, अनुभवी आयुर्वेद चिकित्सकों का उपयोग किया जावें और विख्यात विद्वानों की केन्द्रीकृत टीम के निर्देशन में कोरोना/कोविद-19 की रोकथाम व उपचार में आयुर्वेदिक औषधियों का उपचार किया जाये तो राजस्थान राज्य का आयुर्वेद विभाग पूरे देश एवं विश्व के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका में आ सकता है।

लेकिन आपके उपरोक्त दुर्भाग्यपूर्ण आदेश ने जहाँ राजस्थान के पूरे आयुर्वेद विभाग को नाकारा घोषित कर दिया हैं, वहीं आपकी प्रशासनिक दक्षता को भी संदिग्ध बना दिया है। आपसे जहाँ पूरे आयुर्वेद विभाग को संरक्षण, सहयोग, विकास और उत्थान वाले कार्यो की अपेक्षा थी वहां आपके उपरोक्त आदेश ने राजस्थान के हजारों विद्वान आयुर्वेदाचार्यो और कार्मिकों को निराश किया है।

अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया अपने उक्त आदेश क्र. प.25(5)आयु./दिनांक 07.04.2020 को तत्काल वापस लेवें और राजस्थान के हजारों विद्वान आयुर्वेदाचार्यो और निष्ठावान कार्मिकों को सम्मानपूर्वक, से स्वतंत्रतापूर्वक आयुर्वेदिक औषधियों के आधार पर ही कोरोना/कोविद-19 वार में सक्रिय करने हेतु समुचित कार्यवाही कर अनुग्रहीत करें। सादर,

भवदीय

पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष

8374

य स्वास्थ्य मंत्री एवं श्रीमान डी.बी. गुप्ता साहेब, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार ही हेतु।

धायकों को सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(Track on www.indiapost.gov.in)
(Dial 18002666868) (Expect Delay in Delivery)
भारतीय डाक
India Post
ER093370607IN IVR:6982093370607
SP JAIPUR RMS (302006)
Counter No:2,31/05/2020,16:36
To:SMT GAYATRI R.SEC. AYURVED & B
PIN:302005, Rajasthan Secretariate S.O
From:P.N.SHARMA,G-3 SANGAM RESID.
Wt:14gms
Amt:17.70(Cash)Tax:2.70

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
चौथी मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल मध्यप्रदेश
0755- 2527134, E-Mail:- coordination2013@gmail.com

तत्काल / अति आवश्यक / महत्वपूर्ण

भोपाल, दिनांक 05/ 06 / 2020

क्रमांक / 2020 / समन्वय / 233

प्रति,

1. समस्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी,आयुषमान निरामय योजना, आई.ई.सी.,ब्यूरो,जय प्रकाश चिकित्सालय परिसर भोपाल म.प्र.।
3. समस्त अपर संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, सतपुड़ा भवन भोपाल।
4. अपर मिशन संचालक, एन.एच.एम, अरेरा हिल्स जेल रोड भोपाल म.प्र.।
5. समस्त संयुक्त संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें।
6. संयुक्त संचालक, एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, अरेरा हिल्स, भोपाल म.प्र.।

विषयः–कोविड–19 संक्रमित रोगियों को आयुष औषधियों के प्रयोग के संबंध में।

सन्दर्भः–सचिव सह आयुक्त संचालनालय आयुष म.प्र. का पत्र क्रमॉक S.St. /Comm. Ayush /2020 /2791-92 भोपाल दिनांक 28 / 05 / 2020

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र सचिव सह आयुक्त संचालनालय आयुष म.प्र. का पत्र क्रमॉक S.St. /Comm. Ayush /2020 /2791-92 भोपाल दिनांक 28 / 05 / 2020 की छायाप्रति संलग्न है, का अवलोकन करने का कष्ट करें। जो विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह आयुक्त स्वास्थ्य म.प्र. को कार्यवाही हेतु संबोधित है।

अतः शासन निर्देशानुसार अनुरोध है आपके स्तर से समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पातल अधीक्षकों को विधिवत निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह कोविड–19 के संक्रमित (Asymptomatic Cases/ Mild Symptomatic/MildSymptomatic With febrile) रोगियों को भी आयुर्वेद / यूनानी / होम्यापैथी दवाओं से चिकित्सा हेतु प्रयोग कर सकते है, तथा इससे भी, कोविड पॉजीटिव मरीज स्वास्थ्य हो रहे है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार । 4

05/06/2020

उप संचालक (समन्वय)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 05 / 06 / 2020

पृ.क्रमांक / समन्वय / 2020 /

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ प्रेषित।

1. निज सहायक,प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन।
2. निज सहायक, स्वास्थ्य आयुक्त, संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, एन.एच.एम, अरेरा हिल्स जेल रोड, भोपाल म.प्र.।

उप संचालक (समन्वय)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं
मध्यप्रदेश

DD(Coordi.) Circulate to all DDs NHM

Dispatch NHM. Letter No. 06/06/20
Out Date
AMD/NHM 812
Date 06/06/2020

.720
वा.आयुक्त/.....
30/05/2020

संचालनालय, आयुष, मध्यप्रदेश

(भूतल "डी" विंग, सतपुड़ा भवन, भोपाल-462004)

www.ayush.mp.gov.in
E-mail:mp_dismh@yahoo.com

Office (0755)2571643
Fax (0755)2760225

Dir/No. 253
In Date 30-05-2020
Out Date 30-05-2020

क्रमांक / S.St./Comm.AYUSH/2020/2791-92 भोपाल, दिनांकः 28 / 05 / 2020

प्रति,

आयुक्त
स्वास्थ्य सेवायें,
सतपुड़ा भवन,
भोपाल म.प्र.

क्र. 253 अमुस/लो.स्वा/20
दिनांक 28.05.2020

विषयः– कोविड–19 संक्रमित रोगियो को आयुष औषधियों के प्रयोग के संबंध में।

–0–

आपसे दूरभाष पर हुई चर्चा के अनुसार कोविड –19 के संक्रमित रोगी (Asymptomatic Cases/ Mild Symptomatic/ Mild Symptomatic with febrile) होने पर वर्तमान में प्रयोग की जा रही आयुर्वेद, होम्योपैथी तथा यूनानी औषधियों के प्रपत्र 'A' (आयुर्वेदिक), 'B' (होम्योपैथिक) तथा 'C' (यूनानी) संलग्न है।

2. वर्तमान में आयुर्वेद औषधि "आरोग्य कषायम" कोविड–19 से संक्रमित रोगियों को 23 जिलों में प्रदाय किया गया है उनमें 1563 कोविड पॉजीटिव रोगियों में 1528 स्वस्थ्य होकर जा चुके है। शेष की रिपोर्ट आना शेष है।

3. इसी प्रकार शासकीय होम्योपैथी महाविद्यालय में भी 54 कोविड पोजटिव रोगी भर्ती होकर 11 रोगी चिकित्सा का लाभ लेकर स्वस्थ्य हो रहे है।

अतः अनुरोध है कि आपके स्तर से समस्त जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा सिविल सर्जन को विधिवत निर्देशित करने का कष्ट करें कि वह कोविड–19 के संक्रमित (Asymptomatic Cases/ Mild Symptomatic/ Mild Symptomatic with febrile) रोगियों को भी आयुर्वेद / यूनानी / होम्योपैथी दवाओं से चिकित्सा हेतु प्रयोग कर सकते है, तथा इससे भी कोविड पॉजीटिव मरीज स्वास्थ्य हो रहे है।

संलग्न :– औषधी प्रपत्र।

Dir (Proc.)

(डॉ. एम.के. अग्रवाल)
सचिव सह आयुक्त
संचालनालय आयुष म.प्र.

क्रमांक / S.St./Comm.AYUSH/2020/2791-92 भोपाल, दिनांकः 28 / 05 / 2020

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल।

Director on leave
DD (Proc./ H.A)

सचिव सह आयुक्त
संचालनालय आयुष, म.प्र.

28 MAY 2020
H.C.

OSD (Co-ordin)
30/05/2020

P:\c:\users\admin\desktop\sieno\letter-2019.doc

'A' (2)

covid –Management

(आयुर्वेद)

A- Asymptomatic cases

1-आरोग्य कषायम 100 एम.एल. 02 बार

B-Mild symptomatic

A+1.सुदर्शनधनवटी 02 गोली 02 बार
2.दशमुलकटुश्रयकषायम् 3 चम्मच 03 बार गुनगुने पानी से
3.लवंगादि वटी –चूसने के लिये (5 से 6 गोली)
4.अणुतेल 02 बूंद दोनो नथुनो में (1 बार)
5.हल्दी एवं सेंधानमक गुनगुन पानी से गरारे
6.गर्म पानी की भाप दिन मे 04 बार 10–10 मिनिट

C-यदि बुखार हो

A+B+	1.	त्रिभुवनकीर्ति	125 mg
		गोदन्ती	250 mg
		सितोपलादि चूर्ण	03 gm

1 मात्रा दिन मे तीन बार शहद /अधरक स्वरस के साथ

Rest करे
Prophylactic Measures का पालन करें ।

(Dr. Umesh Shukla)
Principal, PKLS Ayurveda Institute
Bhopal